न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 132/2025 G.C.M.S. No. 2025/838 दर्ज दिनांक : 06.10.2025

अपीलार्थिगण:

मृत घीसाराम पुत्र नवलारामजी के वारिसानः–

1. देवली पत्नी घीसारामजी
2. अमरचन्द पुत्र घीसारामजी
3. भोलाराम पुत्र घीसारामजी
4. पानी देवी पुत्री घीसारामजी
5. टीकुदेवी पुत्री घीसारामजी
6. सुखीदेवी पुत्री घीसारामजी
7. नाजिदेवी पुत्री घीसारामजी जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा राम सागर, कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन (अपीलाण्ट संख्या 1 व 3 से 7 जरिये मुख्तियार अपीलाण्ट संख्या 2 अमरचन्द)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. मृत जसाराम पुत्र पुखाराम के कायम मुकामः–

3/1. अशोक पुत्र जसाराम
3/2. विक्रम पुत्र जसाराम
3/3. रेखा पुत्री पुत्र जसाराम
3/4. सगली पत्नी जसाराम

4. दीपाराम पुत्र पुखाराम
5. नेमाराम पुत्र पुखाराम
6. नोजीदेवी पुत्री पुखाराम
7. भंवरीदेवी पुत्री पुखाराम
8. कमलीदेवी पुत्री पुखाराम
9. मिश्रीदेवी पुत्री पुखाराम
10. सनकीदेवी पुत्री पुखाराम
11. कालीदेवी पुत्री पुखाराम
12. प्यादेवी पत्नी पुखाराम (हटाया गया)
13. सुजाराम पुत्र राईगराम
14. जीताराम पुत्र राईगराम
15. तीजादेवी पुत्री राईगराम
16. मांगीदेवी पुत्री राईगराम
17. पोकरराम पुत्र दौलाराम
18. दुर्गाराम पुत्र दौलाराम
19. रूपाराम पुत्र दौलाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

20. चौथाराम पुत्र दौलाराम
21. मंगलीदेवी पुत्री दौलाराम
22. सुजाराम पुत्र पुकाराम
23. मंगलीदेवी पुत्री पुकाराम
24. तीजादेवी पुत्री पुकाराम
25. मोतीलाल पुत्र भुराराम
26. केवलराम पुत्र भुराराम
27. लखाराम पुत्र भुराराम
28. नारायणलाल पुत्र पोकरराम
29. बादरराम पुत्र पोकरराम
30. मृत गोगीदेवी पुत्री मगनाराम के कायम मुकामः—
30/1. भुण्डाराम पुत्र मगलाराम
30/2. दुर्गा पुत्री मगलाराम
30/3. सुरता पुत्री मगलाराम
30/4. केवलराम पुत्र मगलाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मगलाराम)
31. मृत डायाराम पुत्र लुम्बाराम के कायम मुकामः—
31/1. घीसीदेवी पत्नी डायाराम
31/2. नारायणलाल पुत्र डायाराम
31/3. मगलाराम पुत्र डायाराम
31/4. सुखडी पुत्री डायाराम
31/5. तीजादेवी पुत्री डायाराम
31/6. गवरी पुत्री डायाराम
32. मृत चौथाराम पुत्र लुम्बाराम के कायम मुकामः—
32/1. जोगाराम पुत्र चौथाराम
32/2. चौनाराम पुत्र चौथाराम
32/3. उम्मेदराम पुत्र चौथाराम
32/4. सायरी देवी पुत्री चौथाराम
32/5. कुकी देवी पुत्री चौथाराम
32/6. सीतादेवी पुत्री चौथाराम
32/7. डगरी पत्नी चौथाराम
32/8. अमित पुत्र चौथाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा राम सागर कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन
33. मृत लालाराम पुत्र लुम्बाराम के कायम मुकामः—
33/1. चौनी बाई पत्नी लालाराम
33/2. घापु देवी पुत्री लालाराम
33/3. भैराराम पुत्र लालाराम
33/4. वेनाराम पुत्र लालाराम
33/5. पेमाराम पुत्र लालाराम
34. मृत घीसीबाई पुत्री लुम्बाराम के कायम मुकामः —
34/1. रूपाराम पुत्र कुशाल
34/2. गुणाराम पुत्र कुशाल
34/3. ताराराम पुत्र कुशाल जातियान सीरवी निवासीगण कारिगारों

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

का बास सियाट तहसील सोजत जिला पाली

35. जमनीदेवी पुत्री लुम्बाराम
36. भंवदेवी पत्नी सोनाराम
37. दीपाराम पुत्र रूगाराम
38. जीताराम पुत्र मोतीराम
39. देवाराम पुत्र कानाराम
40. पोकरराम पुत्र कानाराम
41. लखाराम पुत्र पुकाराम
42. सेसाराम पुत्र पुकाराम
43. हीरालाल पुत्र चौलाराम
44. खरताराम पुत्र थानाराम
45. चुन्नीलाल पुत्र भोमाराम
46. घेवरराम पुत्र भोमाराम
47. जीताराम पुत्र मोतीलाल
48. दीपाराम पुत्र रूगाराम
49. खीवाराम पुत्र जोधाराम
50. मृत तुलसाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामः—

50/1. कुनाई पत्नी तुलसाराम
50/2. जीवाराम पुत्र तुलसाराम
50/3. गेनाराम पुत्र तुलसाराम
50/4. भैराराम पुत्र तुलसाराम
50/5. साय पुत्री तुलसाराम
50/6. छगनी देवी पुत्री तुलसाराम

51. जमनीदेवी पत्नी केसाराम
52. टोयाराम पुत्र केसाराम
53. कवदबाई पत्नी डायाराम
54. वेनाराम पुत्र डायाराम (हटाया गया)
55. मिश्रीलाल पुत्र डायाराम
56. मृत डगरीदेवी पुत्री डायाराम के कायम मुकामः—

56/1. सुरेश कुकाराम
56/2. विमला पुत्री कुकाराम
56/3. मंजु पुत्री कुकाराम
56/4. हरीश पुत्र कुकाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वली रेस्पोडेण्ट संख्या 56/1 सुरेश जातियान सीरवी)

57. मीरादेवी पुत्री डायाराम
58. चेनाराम पुत्र पुनाराम
59. केवलराम पुत्र पुनाराम
60. भीखीदेवी पुत्री पुनाराम
61. मृत तुलसाराम पुत्र नवलारामः—

61/1. कुनाई पत्नी तुलसाराम
61/2. जीवाराम पुत्र तुलसाराम
61/3. गेनाराम पुत्र तुलसाराम
61/4. भैराराम पुत्र तुलसाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

61/5. सायरी पुत्री तुलसाराम
61/6. छगनी देवी पुत्री तुलसाराम
62. वेनाराम पुत्र डायाराम (हटाया गया)
63. मिश्रीलाल पुत्र डायाराम
64. झमकुबाई पत्नी टोयाराम
65. मृत मगीया पुत्र चेलाराम के कायम मुकाम रू–
65/1. कमलीदेवी पत्नि मगीया
65/2. अशोक पुत्र मगीया
65/3. मुकेश पुत्र मगीया
65/4. सुरेश पुत्र मगीया
65/5. ईन्द्रादेवी पुत्री मगीया
65/6. जयन्तीदेवी पुत्री मगीया
66. मृत थानाराम पुत्र पुकाराम के कायम मुकामः–
66/1. दाखु देवी पत्नी थानाराम
66/2. मृत मांगीलाल पुत्र थानाराम के कायम मुकामः –
66/2/1. वेनाराम पुत्र मांगीलाल
66/2/2. विधा देवी पुत्री मांगीलाल
66/2/3. पुसीया पुत्री मांगीलाल
66/3. नाजु पुत्री थानाराम
66/4. सुखीया देवी पुत्री थानाराम
67. शेषाराम पुत्र पुकाराम
68. त्रिलोकराम पुत्र मगनाराम
69. भुण्डाराम पुत्र मगनाराम
70. अचलाराम पुत्र मगनाराम
71. जसाराम पुत्र धनाराम
72. भंवदेवी पत्नी जोगाराम
72. भवरादवा पत्नी जागाराम
73. मेनादेवी पुत्री जोगाराम
74. मन्जूदेवी पुत्री जोगाराम
75. ज्योति पुत्री जोगाराम
76. भोलाराम पुत्र लुम्बाराम
77. घीसाराम पुत्र पाबुराम
78. नानकराम पुत्र मगाराम
79. भुण्डीदेवी पुत्री मगाराम
80. भूरीदेवी पत्नी मगाराम
81. उदाराम पुत्र गमनाराम
82. खीवाराम दत्तक पुत्र पुखाराम जातिगण सीरवी निवासी
बेरा राम सागर कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन
83. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2019/00092 बअनवान घीसाराम वगैरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बनाम अधिशाषी अभियंता जोधपुर वि.वि. निगम लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री रमेशचंद मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2019/00092 बअनवान घीसाराम वगैरह बनाम अधिशाषी अभियंता जोधपुर वि.वि. निगम लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स के पिता ने अधिन न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से दावा को स्वीकार किया गया था तथा माफिक निर्णय व डिक्री तत्समय विभाजन अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर दिया तथा जहां अपीलाण्टस् काबिज थें। वह भूमि अपीलाण्टस् के हिस्से में रखते हुए राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी थीं और उपरोक्त निर्णय व डिक्री अनुसार अपीलाण्टस् के पिता के हिस्से में खसरा नम्बर 126/1, 138/1, 139 एवं 140/2 कुल रकबा 3.5120 हैक्टेयर रखी गई। अधिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक अपील श्रीमान के समक्ष प्रथम अपील पेश की थीं, जिसे निर्णय दिनांक 17/01/2019 द्वारा स्वीकार कर रिमाण्ड की गई। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो दिनांक 12/02/2019 को निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध रिट याचिका माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की थीं, जो रिट याचिक दिनांक 03/02/2021 को इस प्रकार निर्णित की कि अधिन न्यायालय द्वारा वाद को शीघ्र अति शीघ्र एक वर्ष में निर्णित करें तथा जब तक वाद निर्णित नहीं होता है तब तक दोनों ही पक्षकार यथास्थिति कायम रखी जावे। इस प्रकार से माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार आदेश के दिनांक की यथास्थिति को कायम रखा जाना है। रेस्पोंडेण्ट्स ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र में चाराजोही किये बिना ही विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 144 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र पेश किया, एवं कई पक्षकारों को नोटिस तामिल करवाये बिना व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रिट पिटीशन नम्बर 4178/2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 को विवादित आराजी के सम्बन्ध में दोनों पक्षकारान को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है अर्थात कोई भी पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, प्रतिवादीगण ने उक्त डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया नामांतरकरण सख्या 3158 दिनांक 31.10.2018 को अपास्त करने हेतु नामान्तरण की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के समक्ष प्रस्तुत की जिसे निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया कि जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार विचारण न्यायालय के द्वारा वाद का निस्तारण नहीं किया जाता है, तब तक यथास्थिति के आदेश है और रहेगा। इसलिए उक्त आदेश की पालना में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं और अपील को खारिज की गई, जिस पर विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से बिना कई पक्षकारों की तामिल हुए ही व बिना नोटिस जारी किये ही बिना आज्ञापक प्रावधानों की पालना के ही धारा 144 के प्रार्थना पत्र बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से पारित किया गया है। साथ ही जैर अपील निर्णय पारित कर अधिन न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की हैं, क्योंकि जब तक वाद लम्बित है, तब तक यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्रभाव में हैं। ऐसी स्थिति में अधिन न्यायालय को धारा 144 सी.पी.सी के आवेदन पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त धारा 144 का आवेदन विधि अनुसार अलग से दर्ज किया जाना था और सभी पक्षों को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, फिर भी बिना उक्त प्रावधानों की पालना किये ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2018 को बंटवाड़ा बाबत निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2019 द्वारा अपील मंजूर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 12.02.2019 द्वारा खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रीट याचिका संख्या 4178/2019 प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 द्वारा इस निर्देश के साथ कि विचारण न्यायालय एक वर्ष के भीतर विचाराधीन वाद को निर्णित करें तथा उभयपक्षकारान तब तक यथास्थिति बनाए रखें। तहसीलदार द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2018 की पालना में नामांतरण स्वीकृत कर खाता विभाजित कर दिया गया। प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में अपास्त निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने का निवेदन किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.08.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2018 से पूर्व की स्थिति राजस्व रेकर्ड में बहाल किए जाने बाबत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को आदेशित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा धारा 144 सीपीसी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील की पोषणीयता के संबंध में आक्षेप करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश निर्णय व डिक्री नहीं हैं। अतः धारा 223 के अंतर्गत अपील पोषणीय नहीं हैं। साथ ही अपीलाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी प्रकरण से संबंधित नहीं हैं तथा न ही अधिनियम की धारा 212 व सीपीसी की धारा 104 से भी संबंधित नहीं हैं। अतः प्रश्नगत प्रकरण सीपीसी की धारा 43 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अंतर्गत भी अपील योग्य नहीं हैं। अतः अपील खारिज फरमावें।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 (2) के विधिक प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए निवेदन किया कि सीपीसी की धारा 144 में पारित आदेश धारा 2 (2) के प्रावधान अनुसार डिक्री के रूप में माना जाता है तथा डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 223 के अंतर्गत केवल न्यायालय हाजा को ही श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः रेस्पोंडेंट की आपत्ति काबिल खारिज है।

4. हमनें अपीलाधीन आदेश व व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 (2) का भलीभांति अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश डिक्री के रूप में माना जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अपील धारा 223 के अंतर्गत केवल न्यायालय हाजा के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती हैं। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील की पोषणीयता तथा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

5. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.02.2021 द्वारा उभयपक्षकारान को यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत पाबंद किया हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिससे रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है। हमारे विनम्र मत में चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ससम्मान अवलोकन करते हुए एवं उभयपक्षकारान को इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने के साथ पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उभयपक्षकारान को पाबंद किया गया है। जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं भूमिधारी तहसीलदार बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं एवं न ही अधीनस्थ विचारण न्यायालय व तहसीलदार को पाबंद किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्ण सम्मान व अनुपालन किया है। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

6. चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में दिनांक 26.10.2018 को पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामांतरण स्वीकृत कर भू–अभिलेख में अमल दरामद कर दिया गया तथा उक्त निर्णय व डिक्री न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2019 द्वारा अपील मंजूर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इस प्रकार दिनांक 26.10.2018 को पारित निर्णय व डिक्री का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अतः ऐसी अपास्त डिक्री व निर्णय के आधार पर भू–अभिलेख में की गई प्रविष्टियां वस्तुतः आधारहीन हो चुकी हैं। अतः ऐसी प्रविष्टियों को विलोपित करते हुए भू–अभिलेख की दिनांक 26.10.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना कानूनन आवश्यक है। चूंकि विभाजन का मूल वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। अतः यदि भू–अभिलेख की मूल स्थिति बहाल नहीं की जाती हैं तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के लिए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं होगा तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विधिसम्मत निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न होगी। साथ ही वादी अपीलांट द्वारा अपास्त निर्णय व डिक्री के आधार पर भू–अभिलेख में की गई प्रविष्टियों को यथावत बनाए रखने का कानूनन अधिकारी भी नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के दीगर उजरात स्वीकार योग्य व सारवान नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होने से अस्वीकार किये जाते हैं। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनन कोई त्रुटि या विधि विसंगति नहीं की हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2019/00092 बअनवान घीसाराम वगैरह बनाम अधिशाषी अभियंता जोधपुर वि.वि. निगम लिमिटेड वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 की पुष्टि की जाती हैं। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि दिनांक 06.05.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली